

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 03 दिनांक 23-03-2015

दैनिक वेतन भौगी (मस्टर श्रमिकों) की अवधि वृद्धि के संबंध में आयुक्त से विचार किया गया। चर्चा की गई।

2. विचारोपरान्त आयुक्त से हुई चर्चा के प्रकाश में पूर्व में मेयर-इन-काउंसिल द्वारा जिन दैनिक वेतन भौगी कर्मचारियों की अवधि वृद्धि दिनांक 28-02-2015 तक की गई है, उन्ही मस्टर कर्मचारियों की कार्य आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर नियमानुसार ब्रेक देकर 29-29 दिवस के लिए जिलाधीश द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर पर (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) दिनांक 30 अप्रैल 2015 तक अवधि वृद्धि कर कार्य लेने की स्वीकृति दी जाती है, इसमें होने वाला व्यय संबंधि बजट मद में से होगा। यह स्वीकृति पूर्व में मेयर-इन-काउंसिल द्वारा दिनांक 28/02/2015 तक मस्टर कर्मचारियों (दैनिक वेतन भौगी) की अवधि वृद्धि की गई है उन्ही के लिये मान्य होगी। आयुक्त के माध्यम से 30 अप्रैल 2015 से पूर्व अवधि वृद्धि के लिए प्रकरण प्रस्तुत करें। आगामी स्वीकृति हेतु प्रकरण 30/04/2015 के पूर्व प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

3. विभागीय अधिकारी के कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)श्रीमती मालिनीलक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त।
2. रेसीडेन्ट आडिटर।
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर